


राजस्थान शिक्षाकर्मि बोर्ड

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, पंचम ब्लॉक, पंचम तल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

शिक्षाकर्मि सामूहिक दुर्घटना बीमा

क्र.सं.	योजना का नाम	शिक्षाकर्मि सामूहिक दुर्घटना बीमा
1.	योजना का संक्षिप्त परिचय	शिक्षाकर्मि परियोजना में कार्यरत समस्त शिक्षाकर्मियों एवं बोर्ड कार्मिकों को सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णय लेकर 01 मई, 2007 से इसे क्रियान्वित किया गया है। इसके अन्तर्गत शिक्षाकर्मि से बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित वार्षिक अंशदान कटौती पर 2.00 लाख रू० जनरल इश्योरेन्स कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाता है एवं बोर्ड कार्मिक द्वारा निर्धारित वार्षिक अंशदान वार्षिक देने पर 5.00 लाख रू० तक दुर्घटना बीमा का लाभ सम्बन्धित जनरल इश्योरेन्स कम्पनी द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आंशिक एवं पूर्ण विकलांगता पर बीमा कम्पनी द्वारा नियमानुसार लाभ दिया जाता है।
2.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2007-08
3.	लाभान्वित वर्ग	शिक्षाकर्मि बोर्ड कार्मिक एवं समस्त शिक्षाकर्मि
4.	पात्रता	आकस्मिक दुर्घटना में निधन होने पर या विकलांगता की स्थिति में
5.	देय सुविधाएं	बीमा राशि 2.00 लाख शिक्षाकर्मि को एवं 5.00 लाख बोर्ड कार्मिक को
6.	आवेदन का तरीका	<ul style="list-style-type: none"> शिक्षाकर्मि बोर्ड मुख्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.) के माध्यम से बोर्ड कार्यालय में दावे के प्रस्ताव बनाकर भिजवाना।
7.	आवेदन कहां किया जावे	शिक्षाकर्मि बोर्ड मुख्यालय, जयपुर
8.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफ०आई०आर० यदि है तो ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा सक्षम स्तर से जारी आश्रित का शपथ पत्र
9.	सम्पर्क सूत्र	उपनिदेशक, राजस्थान शिक्षाकर्मि बोर्ड, डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, पंचम ब्लॉक, पंचम तल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर। फोन 0141-2700164


 उपनिदेशक
 राजस्थान शिक्षाकर्मि बोर्ड
 जयपुर